

उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)

सीन अधिकारी :- जय कौशिक आर.ए.एस.

ना-पत्र :- 251 (ए) आर.टी.ए.

ना-पत्र नम्बर 675/2023

राज सिंह पुत्र मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

प्रार्थी

बनाम

गुरमीत. सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है
के प्रार्थी के नाम से चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 104/107 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075
में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा चक नं. 15 बीजीपी के पं.नं. 176/147 मु.नं. 4 के किला नम्बर 1/1 में गै.मु.
खाला के साथ-साथ चिपता हुआ उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व
में गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर करवाने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब
किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। इस कार्यालय द्वारा
तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की
जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 1684 दिनांक 16.6.2025 द्वारा प्रार्थी के
पास कोई स्थायी रास्ता नहीं होना एवं पडौसी काश्तकारों के खेत खाली होने पर अथवा मेड से
प्रार्थी अपने खेत में आवागमन कर काश्त करना बतलाते हुए रास्ता मन्जूर किये जाने की
अनुशंसा की गई है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता
की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि
आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

+


उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का व पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की भूमि चक 15 बीजीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्धा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी रकबा में से चक 15 बीजीपी के पं.नं. 176/147 मु.नं. 4 के किला नम्बर 1/1 में गै.मु. खाला साथ-साथ चिपता हुआ उतर से दक्षिण 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके दले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए चक 15 बीजीपी पं.नं. 176/147 मु.नं. 4 किला नं. 10 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 1 के चिपता म दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास

मुनाया गया।




उपखण्ड (सहायक) अधिकारी
संगरिया
संगरिया